कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला–रीवा (म०प्र०)

:आदेश:

रीवा दिनांक 16 जुलाई 2020

क्रमांक/613/प्रवा०कले०/2020 : मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 10-02/2020/2017/मेडी–2, भोपाल दिनांक 07 मार्च 2020 के परिपेक्ष में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत नोबल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म०प्र० भोपाल का पत्र क्रमांक आईडीएसपी/2020/272, दिनांक 24.03.2020 एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/ /प्र०स०/स्वास/सहस्त्र/मेडि–3/596, भोपाल दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा म०प्र० पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) एवं 71(2) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुये निम्नलिखित आदेश जारी किया जाता है:–

1- हनुमना क्षेत्र में पाये गये COVID-19 संक्रमित पोजिटिव केस से संबंधित घर एवं उसके आस–पास के घरों की जानकारी निम्नानुसार है।

स०क्र०	स्थान का नाम
1.	वार्ड कमांक 11 नगर परिषद हनुमना राजस्व निरीक्षक मण्डल हनुमना तहसील हनुमना

2- वासुदेव गुप्ता पिता स्व0 शिवनाथ गुप्ता के घर को Epicenter घोषित करते हुये वार्ड कमांक 11 नगर परिषद हनुमना राजस्व निरीक्षक मण्डल हनुमना तहसील हनुमना में उत्तर में नरोत्तमदास गुप्ता का मकान से दक्षिण में श्यामबहादुर सिंह का मकान तक एवं पूर्व में कैलाश जायसवाल के मकान से पुलिस कालोनी से पश्चिम में हनुमना हनुमना मिर्जापुर वाईपास मार्ग (पुराना एन.एच. 7) तक कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाता है। इस क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यतः किया जावेगा।

3- कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी The Epidemices Covid-19 Regulation 2020 अंतर्गत उक्त कंटेनमेन्ट एरिया के सर्विलेंस हेतु निम्नानुसार दल गठित किया जाता है:–

क्षेत्र	इंसीडेन्ट कमांडर	राजस्व अधिकारी	पुलिस अधिकारी	नगरपालिका अधिकारी	पी.डब्ल्यू.डी. अधिकारी
1	2	3	4	5	6
वार्ड कमांक 11 नगर परिषद हनुमना राजस्व निरीक्षक मण्डल हनुमना तहसील हनुमना	श्रीमती माला त्रिपाठी अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग मऊगंज मो. नम्बर 9425186413	श्री अजय कुमार मिश्रा प्रभारी तहसीलदार तहसील हनुमना मो.नं. 9179763675	श्री शैलेन्द्र शर्मा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मऊगंज मो. न. 9340789867	श्री के.एन. सिंह बघेल मुख्य न.पा. अधिकारी न.पा. हनुमना मो. न. 8827887400	श्री एम.एल. सोनी अनुविभागीय अधिकारी पी. डब्ल्यू. डी. मऊगंज मो.न.

4- कंटेनमेंट प्लान एवं कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु डॉ. नीरेश प्रताप सिंह खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हनुमना मो. नं. 7000399150 नोडल अधिकारी रहेगें। तथा सहायक नोडल, परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास हनुमना श्री शंखधर त्रिपाठी मो. नं. 9111555143 रहेगे।

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा (म.प्र.)

कृ०प०उ०

Scanned with CamScanner

कंटेनमेंट एरिया

1- कंटेनमेंट एरिया के अन्तर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम कोरेंटाईन में रहना उचित होगा। सन्दर्भित कार्यालयीन आदेशों के माध्यम से जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है उसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो सकेगा। अतः कंटेनमेंट ऐरिया के अन्दर भी आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

2- कंटेनमेंट एरिया को पेरीमीटर कन्ट्रोंल किया जाना होगा जिसके अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के लोगों का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा।

3- कंटेनमेंट एरिया हेतु सी.एम.एच.ओ. द्वारा विशेष रेपिड रिस्पांस टीम/मेडिकल मोबाइल यूनिट का गठन किया जायेगा, जो प्राप्त दिशा निर्देश के आधार पर हो।

4- उक्त क्षेत्र के एंन्ट्री, एक्जिट पाइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्क्रीनिंग की जायेगी।

5- समस्त वार्ड वार फ्रंटलाईन कार्यकर्ता/एपीसेन्टर से समस्त घरों का भ्रमण कर जानकारी लेते हुये निर्धारित प्रोफार्मा में रिपोर्ट डॉ. नीरेश प्रताप सिंह खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हनुमना मो. नं. 7000399150 को अनिवार्यतः उपलब्ध करायेगें, तथा डॉ बसंत अग्निहोत्री जिला टीकाकरण अधिकारी नोडल आफिसर मो.नं 9425185810 से समन्वय स्थापित करेगें।

6- समस्त टीम COVID-19 सस्पेक्टेड केस की मानिटरिंग प्रतिदिन करेंगे एवं COVID-19 संक्रमण की सम्भावित लक्षण जैसे बुखार, खासी स्वांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आर.आर टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे।

7- समस्त COVID-19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन, निकट संपर्क को होम कोरेन्टाईन करया जाना अति आवश्यक है जिससे संक्रमण को समुदाय में फेलने से रोका जा सके।

8- जिनको होम कोरेन्टाइन किया गया है उनका प्रतिदिन फॉलोअप लेना होगा (विजिट या दूरभाष के माध्यम से) जब तक की सस्पेक्टेड केस की रिपोर्ट रिजल्ट निगेटिव न आ जाये और रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो संबंधित के फर्स्ट कॉन्टेक्ट को 14 दिन तक होम कोरेन्टाईन में रखना होगा एवं फोलोअप अतिरिक्त 14 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा।

9- आगे संक्रमण फेलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अन्तर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉटेक्ट ट्रेसिंग करते हुये समस्त संबंधितों (सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में उल्लेखित) से अनिवार्यतः सम्पर्क किया जाकर उन्हें भी होम कोरेंटाईन करवाने की कार्यवाही व उनको भी प्रतिदिन सम्पर्क करते हुये सम्पर्क एवं ट्रेकिंग की रिपोटिंग किया जाना सुनिश्चित करें।

10- नगर परिषद के जोनल अधिकारी क्षेत्र का सेनेटाईजेशन किया जाना सुनिश्चित होगा।

11- सस्पेक्टेड केस आर.आर.टी./एम.एम.यू. द्वारा परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना है एवं समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुये हेण्ड हाईजीन और पर्ससन हाईजीन के प्रोटोकोल पालन करवाना सुनिश्चित करें।

12- समस्त कार्यकर्ता पी.पी.ई. प्रोटोकोल का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

(इलैया राजा टी.)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला रीवा (म०प्र०)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी
जिला रीवा (म.प्र.)

कृ०प०उ०

Scanned with CamScanner

पृ०क्र० 613 /प्रवा०कले०/2020 रीवा दिनॉक 16 जुलाई 2020

प्रतिलिपि:–

1- प्रमुख सचिव, गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3- प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
5- प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल
6- कमिश्नर रीवा संभाग रीवा, की ओर सूचनार्थ।
7- पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा की ओर सूचनार्थ।
8- पुलिस उप महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा की ओर सूचनार्थ।
9- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा।
10- पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11- अपर जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा।
12- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13- अनुविभागीय दण्डाधिकारी, (समस्त) तहसील........................ की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14- जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास रीवा।
15- जिला अपूर्ति अधिकारी, जिला रीवा।
16- नगर पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17- स्टेनों टू कलेक्टर/स्टेनो टू अपर कलेक्टर रीवा।
18- संबंधीजन श्री ....की ओर पालनार्थ।
19- सहायक संचालक, जन सम्पर्क रीवा की ओर प्रकाशनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला रीवा (म०प्र०)

जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा

Scanned with CamScanner

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला–रीवा (म०प्र०)

:आदेश:

रीवा दिनांक 16 जुलाई 2020

क्रमांक 614 /प्रवा०कले०/2020:मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 10-02/2020/2017/मेडी–2, भोपाल दिनांक 07 मार्च 2020 के परिपेक्ष में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत नोबल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म०प्र० भोपाल का पत्र क्रमांक आईडीएसपी/2020/272, दिनांक 24.03.2020 एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/ /प्र०स०/स्वास/सहस्त्र/मेडि–3/596, भोपाल दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा म०प्र० पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के सेक्शन 71(2) में प्रावधानित समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदत्त किए जा चुके हैं। मैं इलैया राजा टी. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रीवा (म०प्र) पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा सेक्शन 71(1) एवं 71(2) में निहित शक्तियों का उपयोग कर निम्नानुसार आदेश पारित करता हूँ।

COVID-19 महामारी की रोकथाम कोरोना पॉजिटिव मरीज को दृष्टिगत रखते हुए वार्ड कमांक 11 नगर परिषद हनुमना तहसील हनुमना में उत्तर में नरोत्तमदास गुप्ता का मकान से दक्षिण में श्यामबहादुर सिंह का मकान तक एवं पूर्व में कैलाश जायसवाल के मकान से पुलिस कालोनी से पश्चिम में हनुमना हनुमना मिर्जापुर वाईपास मार्ग (पुराना एन.एच. 7) तक कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाता है। कंटेनमेंट क्षेत्र के अतिरिक्त ग्राम के चारों ओर एक किलोमीटर का क्षेत्र बफर जोन माना जाएगा। जिसमें आई.एल.आई के मरीजों की पहचान एवं त्वरित जानकारी देना आवश्यक होगा। उक्त कार्य के संपादन हेतु निम्नानुसार अधिकारी/कर्मचारी के कर्त्तव्य निश्चित किए जाते हैं:–

सर्वेक्षण दल

दल क्र.	नाम	पद	मोबाइल नम्बर	वार्ड क्रमांक
01.	श्रीमती संगीता गुप्ता	आगनवाड़ी कार्यकर्ता (हनुमना वार्ड नं. 9)	7489132888	11
	श्रीमती गीता सोधिया	आगनवाड़ी कार्यकर्ता (हनुमना वार्ड नं. 3)	9752854761	
	श्री रूपेश शुक्ला	प्रा.शि. (हनुमना)	7000683675	

पर्यवेक्षण दल

क्र.	नाम	पद	मो.नं.
1.	श्री रामसागर मिश्रा	स्वास्थ्य सुपरवाइजर	8962019701
2.	श्रीमती बॉबी बघेल	आगनवाड़ी सुपरवाइजर	7415792905

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा (म.प्र.)

कृ०प०उ०

Scanned with CamScanner

रिजर्व दल

दल क्र.	नाम	पद	मोबाइल नम्बर	वार्ड क्रमांक
01.	श्रीमती पदमा देवी पाण्डेय	आशा. (बिरहा समय लाल)	7487516180	09
	श्रीमती रेखा द्विवेदी	आगनवाड़ी कार्यकर्ता (हनुमना वार्ड नं. 05)	9200710272	
	श्री तिहारू सिंह कवर	प्रा.शि. (शा.प्रा. शा बढैया)	9755058735	

उपरोक्त कार्यवाही हेतु खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय हनुमना नियंत्रण कक्ष रहेगा। नियंत्रण कक्ष की सभी व्यवस्था डॉ. नीरेश प्रताप सिंह खण्ड चिकित्सा अधिकारी, बी०पी०एम० श्री सौरभ सिंह एवं बी०ई०ई० श्रीमती मीना मिश्रा हनुमना करेंगे। डॉ. विवेक त्रिपाठी आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हनुमना कंटेनमेंट क्षेत्र में कॉन्टेक्ट ट्रेसिग का कार्य देखेगे तथा प्रतिदिन की रिपोर्ट सुपरवाइजर के माध्यम से प्राप्त कर खण्ड कार्यालय एवं जिला कार्यालय को दोपहर 03 बजे के पूर्व प्रेषित करेंगे।

(इलैया राजा टी.)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला रीवा (म०प्र०)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा

पृ०क्र० 614/प्रवा०कले०/2020 — रीवा दिनॉक 16 जुलाई 2020

प्रतिलिपिः–

1- प्रमुख सचिव, गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2- प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भोपाल।
3- आयुक्त रीवा संभाग रीवा, की ओर सूचनार्थ।
4- पुलिस अधीक्षक रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8- अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग मऊगंज/हनुमना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9- स्टेनों टू कलेक्टर/स्टेनो टू अपर कलेक्टर रीवा की ओर सूचनार्थ।
10- संबंधीजन श्री ....की ओर आदेश सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला रीवा (म०प्र०)

Scanned with CamScanner